भारत सरकार

अल्पसंख्यक कार्य मंत्रालय

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या : 3046

उत्तर देने की तारीख : 11.03.2026

अल्पसंख्यक कार्य मंत्रालय में रिक्तियां

3046. श्री यूसुफ पठान:

क्या **अल्पसंख्यक कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) अल्पसंख्यक कार्य मंत्रालय में वर्तमान में स्वीकृत पदों की संख्या और विभिन्न श्रेणियों में आरक्षित पदों सहित रिक्तियों की संख्या का ब्यौरा क्या है;

(ख) वर्ष 2014 से मंत्रालय और इसके अंतर्गत आने वाले संस्थानों में आरक्षित पदों सहित रिक्तियों की संख्या का वर्ष-वार और श्रेणी-वार ब्यौरा क्या है; और

(ग) वर्ष 2014 से अब तक नियुक्त किए गए संविदा कर्मचारियों की संख्या का वर्ष-वार और श्रेणी-वार ब्यौरा क्या है?

उत्तर

अल्पसंख्यक कार्य मंत्री

(श्री किरेन रीजीजू)

(क) और (ख): यह मंत्रालय अखिल भारतीय, अन्य संगठित और सामान्य सिविल सेवाओं आदि के अधिकारियों/कार्मिकों द्वारा संचालित है। यह मंत्रालय इन सेवाओं के संवर्ग नियंत्रक प्राधिकरणों के तैनाती, स्थानांतरण और पदोन्नति के आदेशों का कार्यान्वयन करता है। अल्पसंख्यक कार्य मंत्रालय में 127 स्वीकृत पद की तुलना में 98 पद भरे हुए हैं। वर्ष 2014 से रिक्तियों और कर्मचारियों की नियुक्ति के संबंध में सूचित किया जाता है कि रिक्तियों का सृजित होना और उन्हें भरा जाना एक निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है। जब तक विभाग द्वारा संवर्ग नियंत्रक प्राधिकरणों को सूचित की गई रिक्तियां आरक्षण मानदंडों/दिशानिर्देशों के अनुपालन में भरी जाती हैं, तब तक किसी कर्मचारी की सेवानिवृत्ति, त्यागपत्र, मृत्यु, पदोन्नति आदि के कारण कुछ नई रिक्तियां सृजित हो जाती हैं।

(ग): कार्यों की तात्कालिकता, कार्य संचालन में मितव्ययता और अपरिहार्य परिस्थितियों के कारण, भारत सरकार के नियमों और विनियमों के अनुसार, निश्चित अवधि के लिए एक अंतरिम व्यवस्था के रूप में संविदात्मक नियुक्तियां की जाती हैं। ये नियुक्तियां तब तक प्रभावी रहती हैं जब तक कि संघ लोक सेवा आयोग (UPSC) और कर्मचारी चयन आयोग (SSC) आदि सहित केंद्र सरकार की विभिन्न भर्ती एजेंसियों द्वारा रिक्तियों को भर नहीं लिया जाता या जब तक उस पद की आवश्यकता बनी रहती है।

*****